प्रेषक

अरूण सिंघल
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त
उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद
बी0'1/118, विश्वास खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक-30 जून, 2015**

विषय- प्रदेश में लोहिया ग्रामीण आवास योजना हेतु हुडको से ऋण लिये जाने के लिये प्रति प्रत्याभूति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-464/अड़तीस-9-2015-01(ग्रा0आ0परि0)/2015, दिनांक-15.05.2015 के क्रम में अपने पत्र संख्या-28/ग्रा0आ0परि0-लो0आ0यो0-1977, दिनांक-19.05.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में लोहिया ग्रामीण आवास योजना हेतु हडको से रू0 1500 करोड़, (8.5 प्रतिशत ब्याज दर पर, जो घट/बढ़ सकती है) के लिये उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद के माध्यम से लिये जाने वाले ऋण के सम्बन्ध में उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद से जो प्रति प्रत्याभूति अपेक्षित थी, उसे अब परिषद से प्राप्त किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

भवदीय

अरूण सिंघल
प्रमुख सचिव।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-29/2015/497 (1) /अड़तीस-9-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।

3- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

5- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

6- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

7- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

8- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन

9- क्षेत्रीय प्रमुख, हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बी0-1, एन0ई0 ब्लाक, द्वितीय तल, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-हुडको/शेड्यूल-20745/2015 /52, दिनांक-15.04.2015 के संदर्भ में।

10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।

11- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

12- ग्राम्य विकास अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश, शासन।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।